रजिस्ट्री सं० डी (डी)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 377] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1978/पौष 9, 1900

No. 377] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1978/PAUSA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 600 (अ).—केन्द्रीय सरकार, अन्तर्देशीय वाष्प जलयान (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 35) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 1979 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 26 प्रवृत्त होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति राष्ट्रपति के निजी और सैन्य सचिवों, प्रधानमंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग तथा भारत सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों को भेजी जाए ।

2. यह आदेश भी दिया जाता है कि अधिसूचना आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

[सं० 27-आई० डब्लू० टी० (1)/78-पी एण्ड डब्लू (i)]

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Inland Water Transport Directorate)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 29th December, 1978

G.S.R. 600 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Inland Steam Vessels (Amendment) Act, 1977 (35 of 1977), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 1979 as the date on which section 26 of the said Act shall come into force.

ORDER

Ordered that a copy of this notification be communicated to the Private and Military/Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, the Planning Commission and the Ministries of the Government of India as well as the State Governments.

2. Ordered also that the notification be published in the Gazette of India for general information.

[No. 27-IWT(1) /78-P&W (i)]

अंतर्देशीय जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978

सा० का० नि० 601 (अ).—अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 का एक प्रारूप, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 74 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 495 (असा०), तारीख 6 अक्तूबर, 1978 के अधीन, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड (1), तारीख 9 अक्तूबर, 1978 के पृष्ठ 909-917 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 9 अक्तूबर, 1978 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 54 ग के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :— इन नियमों का संक्षिप्त नाम अन्तर्देशीय यंत्र नोदित जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 है।

(2) इन नियमों का विस्तार जम्मू-काश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर है।

(3) ये नियम 1 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहो,—

(1) "लेखा वर्ष" से प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ होने वाला और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है,

(2) "अधिनियम" से भारतीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) अभिप्रेत है,

(3) "प्राधिकारी" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा की व्यवस्था करने वाला राज्य जल परिवहन उपक्रम, जहां ऐसा उपक्रम निम्नलिखित द्वारा चलाया जा रहा हो—

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, या,

(2) कोई स्थानीय प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार या एक अथवा अधिक राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार और एक या अधिक राज्य सरकार, के स्वामित्वाधीन कोई निगम या कंपनी, जिसके यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान, मोटर जलयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 94 की उपधारा (3) के अधीन बीमा पालिसी से छूट प्राप्त है,

(4) "बैंक" से अभिप्रेत है वह कम्पनी जो उधार देने या विनिधान के प्रयोजनार्थ ऐसे धन निक्षेप जनता से स्वीकार करती है जो, मांग पर या अन्यथा प्रतिदेय है और चैक, मांगदेय आदेश या अन्यथा निकाले जा सकते हैं,

(5) "निधि" से नियम 15 के अधीन स्थापित निधि अभिप्रेत है,

(6) "सरकारी प्रतिभूति" से लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का 18) में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूति अभिप्रेत है ।

(7) "बीमा कर्ता" से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 54 द्वारा अपनाए गए मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 93 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्राधिकृत बीमाकर्ता अभिप्रेत है ।

(8) "पालिसी" से यंत्र नोदित अन्तर्देशीय जलयानों के उपयोग से उद्भूत होने वाले पर व्यक्ति जोखिमों की बाबत ऐसी बीमा की पालिसी अभिप्रेत है जो अधिनियम के अध्याय 6 क की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है और उसमें आवरकार (कवर नोट) भी शामिल है ।

3. बीमा प्रमाण-पत्र : बीमाकर्ता, अपने द्वारा जारी किए गए आवरक टिप्पण से भिन्न किसी पालिसी के प्रत्येक धारक को निम्नलिखित जारी करेगा :—

(क) किसी विनिर्दिष्ट जलयानों से संबंधित किसी पालिसी की दशा में ऐसे प्रत्येक जलयान की बाबत इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप क में बीमा प्रमाण-पत्र ।

(ख) ऐसी पालिसी की दशा में जो किसी विनिर्दिष्ट जलयान या जलयानों से संबंधित न हो, इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप क में उतने प्रमाणपत्र, जितने मोटर जलयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 106 की और इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और जो यह साक्ष्य पेश किए जाने से संबंधित हों, कि मोटर यान अधिनियम की धारा 94 के उल्लंघन में यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान नहीं चलाए जा रहे हैं।

4. आवरक टिप्पण : (1) किसी बीमा कर्ता द्वारा आवरक टिप्पण के रूप में जारी की गई प्रत्येक पालिसी, इन नियमों की अनुसूची में दिए प्ररूप ख में होगी ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवरण-टिप्पण, जारी किए जाने की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के लिए विधिमान्य होगा । यदि किसी कारणवश, बीमाकर्ता उस अवधि के दौरान कोई पालिसी जारी करने में समर्थ नहीं है तो उस आवरण टिप्पण की विधिमान्यता एक समय में पन्द्रह दिन की और अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में आवरक टिप्पण की विधिमान्यता की कुल अवधि दो मास से अधिक नहीं होगी ।

5. प्रमाणपत्रों और आवरक टिप्पणों का जारी किया जाना :—

(1) बीमाकर्ता द्वारा इन नियमों के अनुपालन में जारी किया गया प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या आवरण टिप्पण उस बीमाकर्ता द्वारा जिसने उसे जारी किया है या उसकी ओर से सम्यकतः अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(2) पूर्वोक्त बीमा-प्रमाणपत्र —

(क) उन पालिसियों की दशा में, जो 1 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त हैं, उस तारीख को या उससे पूर्व,

(ख) अन्य किसी दशा में उस तारीख को या उससे पूर्व जिसको पालिसी जारी या नवीकृत की गई हो, जारी किया जाएगा ।

6. विज्ञापन सामग्री का अपवर्जन : इस अधिनियम के अध्याय 6-क के अनुसरण में जारी किए गए किसी बीमा प्रमाण पत्र या आवरण टिप्पण में, मुखपृष्ठ पर या उसके पीछे कोई विज्ञापन सामग्री समाविष्ट नहीं दी जाएगी :

परन्तु उस बीमाकर्ता का नाम और पता, जिसके द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है या बीमाकर्ता का मुद्रा की प्रतिकृति या बीमाकर्ता नाम चिन्ह या वैसी ही कोई मुक्ति या किसी बिमा अभिकर्ता या दलाल के नाम और पते को, यदि वह उस प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण के पाद पर या पीछे मुद्रित या स्टाम्पित हो तो, इस नियम के प्रयोजनार्थ विज्ञापन सामग्री नहीं समझा जाएगा ।

7. गुम, नष्ट या विकृत प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण:—

(1) नियम 5 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां पालिसीधारक,

(क) बीमाकर्ता के पास एक घोषणा दाखिल करता है जिसमें वह यह घोषित करता है कि उस बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी किया गया बीमा प्रमाणपत्र या आवरण टिप्पण गुम या नष्ट हो गया है और प्रमाणपत्र या आवरण टिप्पण के गुम या नष्ट होने से संबंधित सभी परिस्थितियों और उसे पाने के लिए किए गए प्रयासों का पूरा ब्यौरा देता है, या

(ख) या उस बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी किया गया बीमा-प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण, विरूपित या विकृत दशा में उसे वापिस करता है, और

(ग) ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण की बाबत बीमाकर्ता को 3 रुपए फीस देता है,

तो बीमाकर्ता, यदि युक्तियुक्त रूप में उसका समाधान हो जाए कि वह प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण गुम हो गया है और उसे खो जाने के सभी युक्तियुक्त प्रयास किए गए हैं या, यथास्थिति, वह नष्ट या विरुपित या विकृत हो गया है, उसके बदले में दूसरा बीमा प्रमाणपत्र या आवरण टिप्पण जारी करेगा जिस पर इस आशय का स्पष्ट पृष्ठांकन होगा कि वह मूल के स्थान पर जारी प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण की दूसरी प्रति है।

(2) जब इस अभ्यावेदन पर कि प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण गुम हो गया है, उपनियम (1) के उपबन्धों के अनुसार नया प्रमाणपत्र या आवरक-टिप्पण जारी किया गया है और बाद में मूल प्रमाणपत्र या आवरक-टिप्पण धारक को मिल जाता है तो वह बीमाकर्ता को परिदत्त किया जाएगा।

8. प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण का अभ्यर्पण :—मोटरयान अधिनियम 1939 (1939 का 4) की धारा 104 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में अभ्यर्पित किए गए प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या आवरक-टिप्पण, बीमाकर्ता द्वारा इन नियमों के नियम 10 के अनुसरण में रखे गये अभिलेखों में विरुपण या उनके नष्ट किए जाने की बाबत लेखबद्ध करने के पश्चात् तुरन्त विरुपित या नष्ट कर दिया जाएगा।

9. प्रमाणपत्र या आवरक-टिप्पण का रद्दकरण या निलम्बन जब :—कोई बीमा पालिसी या आवरक टिप्पण किसी बीमाकर्ता द्वारा रद्द या निलम्बित कर दिया जाता है तब बीमाकर्ता, उस रद्दकरण या निलम्बन की बाबत पालिसीधारक को सुरक्षित, बीमाकर्ता के अभिलेखों में अभिलिखित पालिसी-धारक के अंतिम पते पर डाक द्वारा सूचित करेगा।

10. बीमाकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख :—प्रत्येक बीमाकर्ता, अपने द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी, जो प्रवृत्त है और पिछले पांच वर्षों के दौरान उसके द्वारा जारी की गई प्रत्येक अन्य पालिसी की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियों का अभिलेख रखेगा :—

(1) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे पालिसी जारी की गई है,

(2) किसी विनिर्दिष्ट यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान या जलयानों से संबंधित पालिसी की दशा में, ऐसे प्रत्येक जलयान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्या, तथा अन्य दशाओं में, उसके अन्तर्गत आने वाले जलयानों का वर्णन,

(3) वह तारीख जिसकी पालिसी प्रवृत्त होती है या प्रवृत्त हुई और वह तारीख जिसको वह समाप्त होती है या समाप्त हुई,

(4) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए, पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की क्षतिपूर्ति की जाएगी,

(5) पालिसी के संबंध में जारी किए गए प्रत्येक बीमा प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण की संख्या और उसके जारी किए जाने की तारीख,

(6) तारीख, यदि कोई हो, जिसकी पालिसी के संबन्ध में जारी किया गया बीमा प्रमाणपत्र या आवरक टिप्पण, अभ्यर्पित या रद्द किया गया था,

(7) तारीख, यदि कोई हो, जिसको और वे कारण जिन्हें पालिसी समय के समाप्तिवाह के साथ समाप्ति से पूर्व किसी भी प्रकार समाप्त या निलम्बित की गई थी।

11. छूट:—मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 94 की उपधारा (3) के अधीन छूट प्राप्त या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में से किसी के स्वामित्वाधीन के यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान की दशा में इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप ग में जिस पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे ऐसे प्रमाणपत्र इस साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकेगा कि यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 94 के उल्लंघन में नहीं चलाया जा रहा है।

(2) इस नियम के उपनियम (1) के अनुसार जारी किया गया प्रमाणपत्र, यंत्र नोदित उन जलयानों का जिससे कि वह प्रमाणपत्र संबंधित है, विक्रय किए जाने या अन्यथा व्ययन किए जाने से पूर्व उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा यह जारी किया गया था, नष्ट कर दिया जाएगा।

12. छूटप्राप्त जलयानों के अभिलेख:— मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्राधिकारी, अपने स्वामित्वाधीन के यंत्र नोदित उन जलयानों का, जिनकी बाबत पालिसी अभिप्राप्त नहीं की गई है, और उन यानों की बाबत इन उपबन्धों के अधीन अपने द्वारा जारी किए गए किन्हीं प्रमाण-पत्रों का तथा उन व्यक्तियों के, जिन्हें उसके द्वारा ये प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, नाम और पतों और ऐसे किन्हीं प्रमाणपत्रों के वापस लिए जाने या नष्ट किए जाने का अभिलेख रखेगा।

13. सूचना का प्रदाय:—इन नियमों द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के अभिलेख रखने वाला कोई व्यक्ति, प्राधिकारी या बीमाकर्ता, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी के अनुरोध किए जाने पर उसको कोई भी विशिष्ट निशुल्क देगा।

14. सूचना प्रस्तुत करने के लिए फीस:—मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 109 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना प्रस्तुत किए जाने के लिए देय फीस एक रुपया है।

भाग—2 प्राधिकारियों द्वारा निधि की स्थापना

15. निधि की स्थापना :—प्राधिकारी, किसी भी समय उस प्राधिकारी के लिए किसी यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान के उपयोग से उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के लिए जो उस प्राधिकारी या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति द्वारा पर व्यक्ति के प्रति उद्भूत हो जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उद्भूत होने वाला दायित्व सम्मिलित है, एक निधि की स्थापना करेगा।

16. निधि की रकम :—(1) निधि, कम से कम पांच लाख रुपए की प्रारम्भिक रकम से स्थापित की जाएगी। यह रकम बैंक में जमा कर दी जाएगी।

(2) उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्राधिकारी चालू हालत में यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयानों की बाबत प्रत्येक लेखा वर्ष के आरम्भ में, प्रति जलयान 500 रु० का निधि में संदाय करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम में, "चालू हालत में यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान" से प्राधिकारी के वे सभी यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान अभिप्रेत है, जिनका कि उस लेखा वर्ष के दौरान किसी भी समय प्रचालन प्रत्याशित है।

(3) जब निधि साठ लाख रुपये या यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयानों की सम्पूर्ण फ्लीट के लिए 7,500 रु० प्रति यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान, जो भी कम हो, से अधिक हो तो उपनियम (2) में निर्दिष्ट वार्षिक संदाय बन्द हो जायेगा, परन्तु यदि तत्पश्चात् निधि के जमा खाते रकम, साठ लाख रुपए या पत्र नोदित अंतर्देशीय जलयानों की संपूर्ण फ्लीट के लिए प्रति अंतर्देशीय जलयान 7,500 रु० जो भी कम हो, से कम हो जाए तो वह वार्षिक संदाय फिर से आरम्भ कर दिया जाएगा।

17. निधि का विनिधान :—निधि के जमाखाते रकम में से प्राधिकारी बैंक में कम से कम दो लाख पचास हजार रुपये नकद जमा रखेंगे

और रखी रहेगा। निधि के जमा खाते शेष रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनिहित की जाएगी।

18. निधि में निक्षेप के रूप में धृत प्रतिभूतियां :—(1) सभी सरकारी प्रतिभूतियों जिनमें वह निधि विनिहित की गई है, प्राधिकारी द्वारा बैंक को अन्तरित कर दी जाएगी।

(2) प्राधिकारी किसी भी समय, सरकारी प्रतिभूतियों को नकदी के रूप में या बराबर या अधिक विवरणन मूल्य की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों या दोनों से विनिमय करने के लिए सक्षम होगा और बैंक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का प्राधिकारी से प्राधिक कमीशन प्रभारित करने के पश्चात् पालन करेगा। इस प्रकार विनियम की गई प्रतिभूतियां भी बैंक को अंतरित कर दी जाएंगी।

19. निक्षेप प्रक्रिया :—(1) जैसे ही निधि स्थापित होती है, बैंक, प्राधिकारी को, उसके निमित अपने द्वारा धृत आस्तियों को विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण भेजेगा, और उसकी एक प्रति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय) या सम्बद्ध राज्य सरकार को भेजेगा।

(2) जब भी बैंक द्वारा धृत प्राधिकारियों की आस्तियों में कोई परिवर्तन हो तब उप नियम (1) में निर्दिष्ट विवरण, उसी रीति से और उन्हीं प्राधिकारियों को भेजा जायेगा।

20. निधि में निक्षेप पर ब्याज :—निधि में धृत प्रत्येक निक्षेप या प्रतिभूति पर वसूल किया गया ब्याज बैंक द्वारा प्राधिकारी को दे दिया जाएगा।

21. निधि में से धन निकालना :—(1) प्राधिकारी के किसी यंत्र नोदित जलयान के उपयोग से उद्भूत होने वाले किसी दायित्व को पूरा करने के सिवाय, जो वह प्राधिकारी या उसके नियोजन में कोई व्यक्ति पर व्यक्ति प्रति उद्भूत करे जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अधीन उद्भूत होने वाला दायित्व सम्मिलित है, निधि में से कोई रकम नहीं निकाली जाएगी।

(2) प्राधिकारी, उन शर्तों और निबन्धनों जो के अधीन रहते हुए वह इस निमित्त अधिरोपित करे, उपनियम (1) में वर्णित उद्देश्य के लिए निधि में से धन लेने के लिए अपने किसी अधिकारी को प्राधिकृत करेगा।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्राधिकार की प्राधिकारी के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यकतः अभिप्रमाणित एक प्रति बैंक को भेजी जाएगी, जो, उसमें दी गई शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए प्राधिकार में निर्मित अधिकारी को ही धन निकालने के लिए अनुज्ञात करेगा।

22. दावों को तय करने की प्रक्रिया :—प्राधिकारी उन दावों को, जो इस निधि में से पूरे किये जाने हैं, तय करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की बाबत, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निदेशों का पालन करेगा।

भाग-3-सहकारी बीमा

16. परिभाषाएं:— इन नियमों के इस भाग में—

(1) "अनुमोदित प्रतिभूतियों से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की, उपधारा (3) में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं

(2) "बीमा नियंत्रक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीमा अधिनियम 1938 के उपबन्धों के अधीन तत्समय बीमा नियंत्रक के कृत्य कर रहा है,

(3) "नियंत्रक प्राधिकारी" से सोसाइटी के सम्बन्ध में वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसकी अभिरक्षा में,

(4) "सोसाइटी" से अंतर्देशीय जलयान स्वामियों की वह सोसाइटी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के प्रयोजनार्थ बीमाकर्ता का कारबार करने के लिए, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) की धारा 54ग द्वारा अपनाए गए मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञात किया गया है।

मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन स्थापित निधि रखी जानी है।

24. सहकारी बीमा निधि :—मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के निबंधनों के अनुसार स्थापित की जाने के लिए अपेक्षित निधि या तो नकदी रूप में या अनुमोदित प्रतिभूतियों या अंशतः नकद और अंशतः अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में रखे गए निक्षेप के रूप में धारित की जाएंगी और इस प्रकार धृत अनुमोदित प्रतिभूतियों की रकम, निक्षेप की तारीख प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर प्राक्कलित की जाएगी,

परन्तु जहां बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन धृत निक्षेप, इन नियमों के नियम 31 के अनुसरण में धारक प्राधिकारी को, अंतरित किए जाते हैं वहां, इस प्रकार अंतरित अनुमोदित प्रतिभूतियों की दशा में निक्षेप की तारीख उस अंतरण की तारीख समझी जाएगी।

25. निक्षेप –प्रक्रिया:—(1) निक्षेप सोसाइटी द्वारा आवश्यक पत्र के साथ धारक प्राधिकारी को भेजी जाएंगी।

(2) प्रतिभूतियां, सोसाइटी द्वारा धारक प्राधिकारी को सम्यकत अंतरित की जाएंगी,

(3) इस नियम के उपनियम (1) के अधीन निक्षेप प्राप्त होने पर धारक प्राधिकारी निम्नलिखित भेजेगा;

(क) प्ररूप घ में सोसाइटी को एक प्रमाणपत्र,

(ख) राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अधिकारी को प्ररूप ङ में एक विवरण :

परन्तु यदि धारक प्राधिकारी का प्रतिभूतियों पर सोसाइटी के हक की विधिमान्यता की बाबत समाधान नहीं हुआ है तो वह उन्हें इस अनरोध के साथ सोसाइटी को लौटा सकता है कि पहले उन्हें नवीकृत किया जाए या हक को स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक अन्य उपाय किए जाएं।

(4) नकद किए गए निक्षेप को धारक प्राधिकारी द्वारा सोसाइटी के जमाखाते धृत किया जाएगा और उस सीमा तक के सिवाय यदि कोई हो, जिस तक इस नियम के उपनियम 6 के अधीन नकदी को प्रतिभूतियों में विनिहित किया गया है और उस मामले में, जिसमें अधिनियम या इन नियमों के उपबन्धों के अधीन सोसाइटी को धन नकद निक्षेप वापस किया जा सकेगा।

(5) सोसाइटी, किसी भी समय, धारक प्राधिकारी के पास इन नियमों के अधीन उसके द्वारा निक्षिप्त किसी प्रतिभूति को या तो नकदी रूप में या अन्य अनुमोदित तिभूतियों से या अंशतः नकद और अंशतः अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में बदल सकती है, परन्तु यथास्थिति, वह नकदी अथवा बदले जाने के समय प्रचलित बाजार मूल्य पर प्राक्कलित वैसी ही अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों का मूल्य अथवा उस मूल्य सहित नकदी, जब प्रतिभूतियां निक्षिप्त की गई थीं उस समय प्रचलित बाजार दरों पर प्राक्कलित प्रतिस्थापित प्रति-भूतियों के जो बदली गई थी मूल्य से कम न हो।

(6) धारक प्राधिकारी, यदि सोसाइटी ने ऐसा अनुरोध किया हो तो,

(क) इन नियमों के अधीन धारक प्राधिकारी के पास उसके द्वारा निक्षिप्त किसी भी प्रतिभूति को बेच देगा तथा उस विक्रय से प्राप्त नकदी को निक्षेप के रूप में रखेगा, या

(ख) अपने द्वारा नकदी के रूप में धृत समस्त निक्षेप को सोसाइटी द्वारा निक्षिप्त प्रतिभूतियों के विक्रय या उनके परिपक्व होने पर उसके द्वारा प्राप्त नकदी को पूर्णतः या भागतः सोसाइटी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमोदित प्रतिभूतियों में विनिहित करेगा

तथा उन प्रतिभूतियों की, जिसमें इस प्रकार विनिधान किया गया है निक्षेप के रूप में धारण करेगा तथा ऐसे विक्रय या विनिधान पर सामान्य कमीशन प्रभारित कर सकता है ।

(7) जहां इस नियम का उपनियम (6) लागू होता है, वहां—

(क) यदि, प्रतिभूतियों के विक्रय या उनकी परिपक्वता पर प्राप्त नकदी (प्रथम मामले में उद्भूत ब्याज को छोड़कर) उस तारीख को जिसको ये प्रतिभूतियां धारक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की गई थीं, उनके बाजार मूल्य से कम रह जाती है तो सोसाइटी उस कमी को या तो नकदी के रूप में या जिस दिन ये निक्षिप्त की जाएं उस दिन के प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर प्राक्कलित अनुमोदित प्रतिभूतियों के, या भागतः नकदी के रूप में और भागतः इस प्रकार प्राक्कलित अनुमोदित के, उस तारीख से, जिसको प्रतिभूतियां परिपक्व हुई थीं या बेची गई थीं, दो मास की अवधि के भीतर अतिरिक्त निक्षेप द्वारा पूरी करेगी, तथा जब तक वह ऐसा न करे, यह समझा जाएगा कि सोसाइटी मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में असफल रही है, और

(ख) यदि, प्रतिभूतियों के विक्रय या उनकी परिपक्वता पर प्राप्त नकदी (प्रथम मामले में उद्भूत ब्याज को छोड़कर) उस तारीख को जिसकी ये प्रतिभूतियां धारक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त की गई थीं उनके बाजार मूल्य से अधिक हो गई तो राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित पूर्ण रकम निक्षेप में है तो, धारक प्राधिकारी को निदेश दे सकती है कि वह कितनी रकम अधिक है उसे लौटा दे ।

26. निक्षेप के रूप में धृत प्रतिभूतियों पर ब्याज :—(1) नकद निक्षेपों पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा ।

(2) मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन और उन नियमों के अधीन निक्षिप्त प्रतिभूतियों पर उद्भूत और संगृहीत कोई ब्याज सोसाइटी को, ब्याज की वसूली के लिए प्रभार्य सामान्य कमीशन की कटौती संदत्त किया जाएगा ।

(3) धारक प्राधिकारी, प्रतिभूतियों पर ब्याज या लाभांश सोसाइटी को, प्रत्येक 100 रु० या उसके भाग पर पच्चीस पैसे की कटौती के पश्चात् सरकारी या बैंक मांगपत्र द्वारा अविलम्ब प्रेषित करेगा ।

27. निक्षेप के रूप में धृत परिपक्व प्रतिभूतियां :—(1) जब कोई निक्षिप्त प्रतिभूति परिपक्व होती है या ऐसी किसी प्रतिभूति पर कोई आय उद्भूत होनी बन्द हो जाती है तब धारक प्राधिकारी सोसाइटी को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं होगा किन्तु सोसाइटी द्वारा लिखित रूप में की जाने वाली मांग के प्राप्त होने पर धारक प्राधिकारी उस प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर, भुगतान मूल्य संग्रहीत करेगा और यह रकम सोसाइटी के जमाखाते में रखेगा या सोसाइटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में विनिहित करेगा ।

(2) जब निक्षेप का प्रारूप या रकम, किसी पश्चात्वर्ती निक्षेप या किसी प्रतिस्थापन या नियम 18 के उपनियम (5) के अधीन संक्रय या इन नियमों के नियम 18 के उपनियम (6) के अधीन किसी विक्रय या विनिधान के कारण, प्रतिवर्तित किया जाता है तो धारक प्राधिकारी, धारक प्राधिकारी की बहियों में ऐसे परिवर्तन की प्रविष्टि से दो सप्ताह के भीतर इन नियमों के नियम 25 के उपनियम (3) में वर्णित प्रकृति का और रीति से एक नया प्रमाणपत्र और एक नया विवरण भेजेगा ।

28. निक्षेपों से संदाय :—(1) यथास्थिति, सोसाइटी, विधि के अनुसार कार्य कराने के अनुसार कार्य करने वाले परिसमापक या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय से निक्षेपों से निकालना और संदाय तथा प्रतिभूतियों का क्रय, राज्य सरकार के लिखित आदेश के बिना और धारक प्राधिकारी द्वारा लिखित मांग की प्राप्ति के बिना नहीं किया जाएगा तथा इस अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) धारक प्राधिकारी, वस्तुतः निक्षिप्त प्रतिभूतियों को उपनियम (1) के अनुसरण में लौटाने के लिए बाध्य नहीं होगा, किन्तु उनके स्थान पर उसी वर्णन और रकम की प्रतिभूतियों को नई स्क्रिप्ट रख सकता है

(3) धारक प्राधिकारी, प्रतिभूतियों की क्रय या विक्रय के लिए, ऐसे क्रय या विक्रय के धारक प्राधिकारी द्वारा देय दलाली प्रभारित करने का हकदार होगा ।

29. निक्षेपों का निरीक्षण :—राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी बिना किसी फीस के मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा इन नियमों के निबन्धनों के अनुसार धारक प्राधिकारी के पास निक्षिप्त किसी प्रतिभूति का निरीक्षण करने या उसकी बाबत धारक प्राधिकारी से किसी सूचना की अपेक्षा करने का हकदार होगा और धारक प्राधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए जो उस अधिकारी को, इस अधिनियम और इन नियमों के अनुसरण में उसके पास रखे गए किसी निक्षेप से संबंधित किसी रजिस्टर या बही में की किसी प्रविष्टि की प्रति देगा ।

30. रिजर्व बैंक को सूचना :—जहां वह सोसाइटी जिसे, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक बीमाकर्ता का कारबार इस प्रकार करने की अनुज्ञा दी गई हो मानों वह कोई प्राधिकृत बीमाकर्ता हो, ऐसी अनुज्ञा अनुदत्त किए जाने के समय बीमा अधिनियम 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत में वहां राज्य सरकार ऐसी अनुज्ञा के दिए जाने की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देगी तथा उस सोसाइटी के संबंध में मोटर जलयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट निधि की स्थापना से संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों की सूचना भी बैंक को देगी ।

31. रिजर्व बैंक से निक्षेप का स्थानान्तरण :—(1) यथापूर्वोक्त सोसायटी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 98 या धारा 7 के अधीन किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धृत निक्षेप के धारक प्राधिकारी को स्थानान्तरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को लिखित रूप में आवेदन देगी तथा वह आवेदन सम्यकतः अधिप्रमाणित होगा और उसके साथ राज्य सरकार का वह मूल आदेश लगाया जाएगा जिसमें सोसाइटी को मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा दी गई हो तथा जिसमें मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा शर्तें यदि कोई हों, अधिरोपित की गई हों तथा बीमा नियंत्रक को उस आवेदन की अनुप्रमाणित और उसके संलग्नक भी भेजे जाएंगे ।

(2) यदि इस प्रकार किए गए आवेदन से रिजर्व बैंक का समाधान हो जाता है कि सोसाइटी को, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा दे दी गई है तो रिजर्व बैंक राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए सोसाइटी के निमित्त, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 और धारा 98 के अधीन अपने द्वारा धृत निक्षेप को नियंत्रक प्राधिकारी को अंतरित कर देगा ।

32. बीमा नियंत्रक की सूचना :—राज्य सरकार, बीमा नियंत्रक को, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ बीमाकर्ता का कारबार करने के लिए सोसाइटी को अपने द्वारा दी गई अनुज्ञा के प्रत्येक मामले और प्रत्येक उस मामले की सूचना देगा जहां यह अनुज्ञा वापस ले ली गई है या रद्द

कर दी गई है तथा प्रत्येक उस मामले में जहां वह अनुज्ञा दे दी गई है, राज्य सरकार बीमा नियंत्रक की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की एक प्रति और उस सोसाइटी के संबंध में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 26 में निर्दिष्ट ऐसी विशिष्टियां जो उस सोसाइटी को लागू हो, भेजेगी :

परन्तु उन सोसाइटियों की दशा में, जो राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञा के समय बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, इस नियम की अपेक्षाओं का पर्याप्त अनुपालन तब समझा जाएगा यदि राज्य सरकार बीमा नियंत्रक को, जिस तारीख को राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी को अनुज्ञा दी गई है उसके पश्चात् होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की बाबत, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 26 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां दे दें ।

33 इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने में सोसाइटी की असफलता : बीमा नियंत्रक, सम्बद्ध राज्य सरकार को प्रत्येक उस मामले की सूचना देगा जिसे, सोसाइटी द्वारा उसे दी गई विवरणियों के अवलोकन से उसकी यह राय हो कि सोसाइटी द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के उपखण्ड (i) या उपखण्ड (ii) या दोनों नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रही है ।

भाग 4—विदेशी बीमा

34. परिभाषाएं : इन नियमों के इस भाग में—

(i) "अनुमोदित सूची" से इन नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा रखी जाने वाली विदेशी, बीमाकर्ताओं और उनके गारन्टीकर्ताओं की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ii) "विदेशी बीमा प्रमाणपत्र" से इन नियमों के अनुपालन में प्रारूप 'छ' में किसी विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(iii) "विदेशी बीमाकर्ता" से वह व्यक्ति या फर्म अभिप्रेत है जो, भारत से बाहर निगमित या अधिवासी है और बीमे का कारबार कर रहा है तथा बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है;

(iv) "गारन्टीकर्ता" से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसने इन नियमों के अनुसरण में किसी विदेशी बीमाकर्ता की गारन्टी दी हो, 'तथा', 'गारन्टी', 'गारन्टी शुदा' और "गारन्टी देना" के तत्सम्बन्धी अर्थ है ।

35. विदेशी बीमाकर्ताओं की सूची : (1) केन्द्रीय सरकार उन विदेशी बीमाकर्ताओं की, जो इन नियमों के अनुसार गारन्टीशुदा है, प्रत्येक मामले में गारन्टीकर्ता या गारन्टीकर्ताओं के नाम सहित, राजपत्र में एक अनुमोदित सूची प्रकाशित करेगी तथा उस अनुमोदित सूची में जोड़े जाने वाले या उसमें से हटाये जाने वाले नामों को भी प्रकाशित करेगी ।

(2) किसी विदेशी बीमाकर्ता का नाम तब तक अनुमोदित सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक कि वह विदेशी बीमाकर्ता कम से कम एक बीमाकर्ता द्वारा गारन्टीशुदा न हो और उस विदेशी बीमाकर्ता का नाम, जिसका एक भी गारन्टीकर्ता न रहे, सूची में से निकाल दिया जाएगा ।

36. विदेशी बीमाकर्ता का गारन्टीकर्ता : (1) वह बीमाकर्ता, जो किसी विदेशी बीमाकर्ता की गारन्टी देना चाहता है, वह, इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप 'च' में, उसके लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसका समाधान हो जाए कि उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन ठीक है और यह समाधान है कि विदेशी बीमाकर्ता को अनुमोदित सूची में रखा जाए, या जहां विदेशी बीमाकर्ता का नाम पहले ही अनुमोदित सूची में सम्मिलित है वहां बीमाकर्ता को, अनुमोदित सूची में विदेशी बीमाकर्ता के गारन्टीकर्ता के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, विदेशी बीमाकर्ता का नाम, यदि वह पहले ही सम्मिलित न हो तो अनुमोदित सूची में जोड़ देगी और बीमाकर्ता को उस विदेशी बीमाकर्ता के गारन्टीकर्ता के रूप में शामिल कर लेगी ।

(3) वह गारन्टीकर्ता जो किसी विदेशी बीमाकर्ता की गारन्टी समाप्त कर देना चाहता है केन्द्रीय सरकार को कम से कम दो मास की सूचना (नोटिस) इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूप 'झ' में देगा और जहां ऐसी सूचना दी जा चुकी हो वहां यह समझा जाएगा कि गारन्टीकर्ता ने सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से, विदेशी बीमाकर्ता की गारन्टी समाप्त कर दी है ।

परन्तु, ऐसी समाप्ति की तारीख से पूर्व, इन नियमों के नियम 30(2) के उपबन्धों के अनुसार पृष्ठांकित या नवीकृत विदेशी बीमा के सभी प्रमाणपत्रों की बाबत यह समझा जाएगा कि जिस विदेशी बीमाकर्ता ने प्रमाणपत्र दिया है, उसका वह अभी भी वैसे ही गारन्टी बना हुआ है, मानो गारन्टीकर्ता ने उसका गारन्टीकर्ता रहना बन्द न किया हो ।

(4) यदि किसी समय कोई गारन्टीकर्ता बीमाकर्ता नहीं रह जाता है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसी सूचना देने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, अनुमोदित सूची में से उस गारन्टीकर्ता का नाम, जहां कहीं वह आया हो, निकाल देगा ।

परन्तु जो गारन्टीकर्ता बीमाकर्ता नहीं रह जाता है, उसके बारे में अनुमोदित सूची में से गारन्टीकर्ता का नाम हटाए जाने की तारीख से पूर्व इन नियमों के नियम 37 के उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसरण में पृष्ठांकित विदेशी बीमे के सभी प्रमाणपत्रों की बाबत यह समझा जाएगा कि वह विदेशी बीमाकर्ता का अभी भी उसी प्रकार गारन्टीकर्ता बना हुआ है मानों गारन्टीकर्ता ने बीमाकर्ता होना बन्द न किया हो और मानों उसका नाम सूची में से न निकाला गया हो ।

37. विदेशी बीमा के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन : (1) वह आगंतुक जो विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र को पृष्ठांकित या पुनः पृष्ठांकित करवाना चाहता है, इन नियमों के अनुसूची में दिए गए प्ररूप 'छ' में उस प्रमाणपत्र को, सीमाशुल्क चौकी के प्रवेश स्थान पर सीमाशुल्क नियंत्रक के या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किसी अन्य अधिकारी के सामने, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में पृष्ठांकन के प्रयोजनार्थ या इन नियमों के अनुसरण में उस प्रमाणपत्र पर पहले ही किए गए किसी पृष्ठांकन के नवीकरण के प्रयोजनार्थ, प्रस्तुत करेगा ।

(2) ऐसा अधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाए कि विदेशी बीमे का प्रमाणपत्र इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, कि भारत में उस प्रमाणपत्र की विधिमान्यता अवधि समाप्त नहीं हुई है कि वह प्रमाणपत्र अनुमोदित सूची में से किसी विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया है और यह कि प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट गारन्टीकर्ता अनुमोदित सूची में विदेशी बीमाकर्ता के गारन्टीकर्ता के रूप में दर्शित है तो इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्रारूप 'ज' में पृष्ठांकन करेगा ।

(3) पृष्ठांकन यथापूर्वोक्त पृष्ठांकन के नवीकरण की विधिमान्यता अवधि किसी भी दशा में उस तारीख के बाद तक नहीं बढ़ाई जाएगी जिसका कि विदेशी बीमे का प्रमाणपत्र भारत में प्रभावी नहीं रह जाता, परन्तु जब कोई आगन्तुक, भारत में अपने रहने की अवधि के दौरान विदेशी बीमें का नया प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लेता है तब उस पर किए गए पृष्ठांकन की विधिमान्यता की अवधि और मूल प्रमाणपत्र किए गए पृष्ठांकन (नों) की विधिमान्यता की अवधि दोनों मिलाकर कुल एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

38. विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता : विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र का, जिस पर नियम 37 के उपबन्धों के अनुसार पृष्ठांकन

है, ऐसा प्रभाव होगा मानो कि वह उसमें विनिर्दिष्ट गारन्टीकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र हो और यह समझा जायेगा कि वह अधिनियम के अध्याय 4-क की अपेक्षाओं के अनुपालन में है, उस पालिसी के बारे में भी, जिससे वह सम्बन्धित है यह समझा जायेगा कि वह गारन्टीकर्ता द्वारा जारी की गई है, तथा अधिनियम के अध्याय 6 क की अपेक्षाओं के अनुपालन में है ।

39. गारन्टीकर्ता द्वारा अभिलेख रखा जाना : प्रत्येक गारन्टीकर्ता उस विदेशी बीमाकर्ता द्वारा जिसकी उसने गारन्टी दी है, उसकी गारन्टी के अन्तर्गत जारी किए गए विदेशी बीमे के प्रमाणपत्रों की बाबत, और प्रत्येक व्यक्ति, जो गारन्टीकर्ता नहीं रह गया है, विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा जिसकी उसने पूर्ववर्ती पांच वर्षों में किसी भी समय गारन्टी दी है उसकी गारन्टी के अन्तर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्रों के बाबत, उन पालिसियों की, जिनके सम्बन्ध में विदेशी बीमे के प्रमाणपत्र जारी किये गये थे, ऐसी विशिष्टियों के अभिलेख रखेगा जिनके अभिलेख पालिसियों की बाबत बीमाकर्ताओं द्वारा रखना इन नियमों के नियम 11 के उपबन्धों के अधीन अपेक्षित है, और उन अभिलेखों में, उन्हें अद्यतन बनाने के लिए अपेक्षित संवर्धन उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त रूप से सम्भव यावत साध्य शीघ्र किए जायेंगे ।

अनुसूची

प्ररूप—क

भारत

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1971 का 1)

बीमा प्रमाणपत्र

(नियम 4 देखिये)

प्रमाणपत्र सं० पालिसी सं० (वैकल्पिक)

1. बीमाकृत यंत्र नोदित अन्तर्देशीय या रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्या या विवरण
2. बीमाकृत का नाम और पता
3. अधिनियम के प्रयोजनार्थ बीमे के प्रारम्भ की प्रभावी तारीख
4. बीमे के अवसान की तारीख
5. नौ संचालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग
6. उपयोग की बाबत परिसीमाएं

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि यह पालिसी जिससे यह प्रमाण-पत्र सम्बन्धित है और यह बीमा प्रमाणपत्र भी, मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) के अध्याय 8 के उपबन्धों के अनुसार जारी किया गया है ।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

(भारत)

प्ररूप— ख

भारत

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)

आवरक टिप्पण

(नियम 4 देखिए)

1. बीमाकृत जलयानों का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्या या विवरण
2. बीमाकृत का नाम और पता
3. अधिनियम के प्रयोजनार्थ बीमे के प्रारम्भ की प्रभावी तारीख
4. बीमे के अवसान की तारीख
5. नौ संचालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग
6. उपयोग की बाबत परिसीमाएं

इस आवरक टिप्पण की विधिमान्यता-अवधि——————को समाप्त हो जाएगी ।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

इस आवरक टिप्पण की विधिमान्यता-अवधि जो——————को समाप्त हो गई थी,——————तक और बढ़ाई जाती है ।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

इस आवरक टिप्पण की विधिमान्यता अवधि जो——————को समाप्त हो गई थी,——————तक और बढ़ाई जाती है ।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

इस आवरक टिप्पण की विधिमान्यता की अवधि जो——————को समाप्त हो गई थी,——————तक और बढ़ाई जाती है ।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

इस आवरक टिप्पण की विधिमान्यता अवधि जो——————को समाप्त हो गई थी,——————तक और बढ़ाई जाती है ।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

प्ररूप—ग

(भारत)

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)

(नियम 11 देखिये)

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरण के यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयान . —

(क) रजिस्ट्रीकरण सं०

(ख) विनिर्माता

(ग) वर्ग अर्थात् कर्षण, स्टीमर, लांच स्वतः चालित बजरा, डेजर फैरी जलयान या स्थीरा जलयान या अन्य वर्ग (विवरण दिया जाएगा)

(घ) विनिर्देश

समुद्रीशक्ति—एल० ओ० ए०—बी० एच० ए०-ड्राफ्ट ले जाने की क्षमता

(ङ) कायिक रंग

निम्नलिखित की सन्तुष्टि है :—

(i) ——————की सरकार

(ii) स्थानीय प्राधिकारी राज्य अंतर्देशीय जल परिवहन उपक्रम, अर्थात ——————जिसके यंत्र नोदित अंतर्देशीय जलयानों को, ——————का सरकार द्वारा उनके आदेश सं० ——————तारीख——————द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 94 (3) के अधीन छूट दी गई है ।

यह प्रमाणपत्र——————तक विधिमान्य है, जब तक कि उसे उस दौरान रद्द न कर दिया गया हो ।

——————पत्राभिधान की ओर से हस्ताक्षरित

तारीख ——————

प्ररूप—घ

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)

(नियम 25 देखिए)

प्रमाणित किया जाता है कि ——————ने अंतर्देशीय जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 और मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 108 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन निम्नलिखित निक्षेप किए हैं :—

(नियंत्रक प्राधिकारी)

नकद	अनुमोदित प्रतिभूतियां			टिप्पण
	ऋण	अंकित मूल्य	बाजार मूल्य	
1	2	3	4	5	6
योग					

स्तम्भ 2 और 5 का कुल योग :

प्ररूप-ङ

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)
(नियम 25 देखिए)

सं०

मोटरयान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 198 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन ———————————की ओर से धृत निक्षेपों की विशिष्टियां दर्शित करने वाला विवरण——————————

ऋण विद्यमान निक्षेप ————————को प्राप्त योग
(जिसमें निकाले गए निक्षेप————————नए निक्षेप ————————सम्मिलित नहीं हैं)।

अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य

कुल नगदी ————————

कुल योग ————————

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विशिष्टियां निम्नलिखित द्वारा रखी गई बहियों में की प्रविष्टियों से मेल खाती हैं।

(धारक प्राधिकारी)

———————— को।

प्ररूप-च

[नियम 36 (1) देखिये]

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) विदेशी बीमाकर्ता के अनुमोदनार्थ आवेदन

मैं/हम——————————गठित/निगमित अधिवसित———— ——————के——————————

(विदेशी बीमाकर्ता का नाम) के अंतर्देशीय जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा रखी जाने वाली अनुमोदित सूची में सम्मिलित किए जाने और उक्त नियमों और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अध्याय 6-क के प्रयोजनार्थ उक्त————————————(विदेशी बीमाकर्ता का नाम) के गारण्टीकर्ता के रूप में अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं। मैं/हम प्रमाणित करता हुं/करते है कि मैंने/हमने, उक्त विदेशी बीमाकर्ता के साथ उक्त अधिनियम और उक्त नियमों के प्रयोजनार्थ एक करार किया है तथा मैं/हम, उक्त अधिनियम और उक्त नियमों के प्रयोजना उक्त विदेशी बीमाकर्ता की बाबत भारत में गारण्टीकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं/हैं।

(प्राधिकृत बीमाकर्ता के हस्ताक्षर)

तारीख ———— पता : ————

प्ररूप-छ

(नियम 37 देखिये)

विदेशी बीमा प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र सं० पालिसी सं० (वैकल्पित)

1. अनुमोदित विदेशी बीमाकर्ता का नाम और पता
2. गारण्टीकर्ता का नाम और पता
3. अंतर्देशीय जलयान का रजिस्ट्रीकरण चिह्न और संख्या
4. आगन्तुक का नाम और पता
5. पालिसी के प्रारुप की तारीख
6. पालिसी की समाप्ति की तारीख
7. भारत में चालन के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के प्रवर्ग
8. भारत में उपयोग की बाबत कोई परिसीमाएं
9. उन अन्य जलयानों का ब्यौरा जिन्हें भारत में चलाने के लिए विदेशी आगन्तुक हकदार हैं और इस संबंध में कोई परिसीमाएं

मैं/हम प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि यह विदेशी बीमा प्रमाण-पत्र, अंतर्देशीय जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1971 (1971 का 1) के अध्याय 6-क के उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है।

(अनुमोदित विदेशी बीमाकर्ता)

(भारत)

प्ररूप-ज

(नियम 37 देखिए)

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1)

विदेशी बीमा प्रमाणपत्र पर पृष्ठांकन

प्रमाणित किया जाता है कि आज मने विदेशी बीमा प्रमाणपत्र की परीक्षा कर ली है और मेरा यह समाधान हो गया है कि यह प्रमाणपत्र अंतर्देशीय जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 और अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) के अधीन अध्याय–6-क की अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं।

इस पृष्ठांकन की विधिमान्यता की अवधि————————को समाप्त होगा, जब तक कि वह इस दौरान रद्द न कर दी गई हो।

तारीख ——————————————

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदाभिधान)

इस पृष्ठांकन की विधिमान्यता की अवधि नवीकृत की जाती है।

तक————————

तक————————

तक————————

जब तक कि वह इस दौरान रद्द न कर दी गई है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और अभिधान)

प्ररूप-झ

[नियम 36 (3) देखिये]

अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) सूचना दी जाती है कि मैं/हम, अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम 1917 (1917 का 1) के अध्याय 6-क और अन्तर्देशीय जलयान (पर व्यक्ति बीमा) नियम, 1978 के प्रयोजनार्थ ————————————के पश्चात् या उस तारीख से दो मास की समाप्ति से, जिसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को परिदत्त कर दी गई है, जो भी बाद में हो————————
————————————(विदेशी बीमाकर्ता का नाम)
————————————(विदेशी बीमाकर्ता का पता)
का भारत में गारण्टीकर्ता नहीं रहना चाहता/चाहते।

तारीख————————

(प्राधिकृत बीमाकर्ता)

[मिसिल सं0 27-आई० डब्ल्यू० टी०(1)/78-पी० एण्ड डब्ल्यू–II]

बी० बी० महाजन, संयुक्त सचिव,

G.S.R. 601 (E).—Whereas a draft of the Mechanically Propelled Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978, was published as required by section 74 of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917), at pages 917 to 923 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II-Section 3(i), dated the 9th October, 1978, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. G.S.R. 495(E), dated the 6th October, 1978, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public on the 9th October, 1978 ;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said draft by the Central Government before the expiry of the aforesaid period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 111 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), read with section 54C of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

PART I

1. Short title, extent and commencement.—(1) These rules may be called the Mechanically Propelled Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978.

(2) They extent to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) They shall come into force on the 1st January, 1979.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(i) "accounting year" means the year commencing on the first day of April, and ending with the 31st day of March of the following year ;

(ii) "Act" means the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) ;

(iii) "Authority" means the Central Government or a State Government or any local authority or any State Water Transport Undertaking providing inland water transport service, where such Undertaking is carried on by—

(i) the Central Government or a State Government, or

(ii) any local authority or any corporation or company owned by the Central Government or one or more State Governments or by the Central Government and one or more State Governments whose mechanically propelled vessels have been exempted from a policy insurance under sub-section (3) of section 94 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) ;

(iv) "Bank" means a company which accepts, for the purpose of lending or investment, deposits of money from the public repayable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise ;

(v) "Fund" means the fund established under rule 15 ;

(vi) "Government security" means a Government security as defined in the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) ;

(vii) "insurer" means an authorised insurer as defined in clause (a) of section 93 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) ;

(viii) "policy" means a policy of insurance in respect of third party risks, arising out of the use of mechanically propelled vessels which complies with the requirements of Chapter VIA of the Act, and includes a cover note.

3. Certificate of insurance.—An insurer shall issue to every holder of a policy, other than a cover note issued by the insurer,—

(a) in the case of a policy relating to a specified vessel or to specified vessels a certificate of insurance in Form A set out in the Schedule to these rules in respect of each such vessel,

(b) in the case of a policy not relating to any specified vessel or vessels such number of certificates in Form A set out in the Schedule to these rules as may be necessary, so as to ensure compliance with the requirements of section 106 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and of these rules as to the production of evidence that a mechanically propelled vessel is not being operated in contravention of section 94 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

4. Cover note.—(1) Every policy in the form of a cover note issued by an insurer shall be in Form B set out in the Schedule to these rules.

(2) A cover note referred to in sub-rule (1) shall be valid for a period of fifteen days from the date of its issue. If, for any reason, the insurer is not able to issue a policy during that period, the validity of the cover note shall be extended for a further period of fifteen days at a time but in no case the total period of validity of a cover note shall exceed two months.

5. Issue of certificates and cover notes.—(1) Every certificate of insurance or cover note issued by an insurer in compliance with these rules shall be duly authenticated by or on behalf of the insurer by whom it is issued.

(2) The certificate of insurance aforesaid shall be issued—

(a) in case of policies which are in force on the 1st January, 1979 on or before that date,

(b) in any other case on or before the date on which the policy is issued or renewed.

6. Exclusion of advertising matter.—No certificate of insurance or cover note issued in pursuance of Chapter VI-A of the Act and of these rules shall contain any advertising matter either on the face or on the back thereof :

Provided that the name and address of the insurer by whom a certificate is issued, or a reproduction of the seal of the insurer, or any monogram or similar device of the insurer or the name and address of an insurance agent or broker shall not be deemed to be advertising matter for the purposes of this rule if it is printed or stamped at the feet or on the back of such certificate or cover note.

7. Certificate or cover notes lost, destroyed or mutilated.—(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2) of rule 5, where the holder of a policy—

(a) lodges with an insurer a declaration in which he declares that a certificate of insurance or cover note issued to him by such insurer has been lost or destroyed and sets out full particulars of the circumstances connected with the loss or destruction of the certificate or cover note and the efforts made to find it ; or

(b) returns to the insurer the certificate of insurance or cover note issued to him by such insurer in a defaced or mutilated condition ; and

(c) pays to the insurer a fee of Rs. 3 in respect of each such certificate or cover note ;

the insurer shall, if reasonably satisfied that such certificate or cover note has been lost and that all reasonable efforts have been made to find it out, or that it has been destroyed or is defaced or mutilated, as the case may be, issue in lieu thereof another certificate of insurance or cover note which shall be plainly endorsed to the effect that it is a duplicate certificate or cover note, as the case may be, issued in place of the original.

(2) When a fresh certificate or cover note has been issued in accordance with the provisions of sub-rule (1) on representation that a certificate or cover note has been lost, and the original certificate or cover note is afterwards founds, it shall be delivered to the insurer.

8. Surrender of certificate or cover note.—Every certificate of insurance or cover note surrendered to the insurer in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 104 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall be defaced or destroyed by the insurer forthwith after making a record

of such defacement or destruction in the records maintained in pursuance of rule 10 of these rules.

9. Cancellation or suspension of certificate or cover note.—When a policy of insurance or cover note is cancelled or suspended by an insurer, the insurer shall forthwith inform the policy holder of such cancellation or suspension, by post to the latest address of the policy holder recorded in the records of the insurer.

10. Records to be maintained by insurer.—Every insurer shall keep a record of the following particulars in respect of every policy issued by him which is in force and of every other policy issued by him during the preceding five years :—

(i) Full name and address of the person to whom the policy is issued.

(ii) In the case of a policy relating to a specified mechanically propelled vessel or vessels, the registration mark and the number of each such vessels and in other cases description of the vessels covered.

(iii) The date on which the policy comes, or came into force and the date on which it expires or expired.

(iv) The conditions subject to which the persons or classes of persons specified in the policy will be indemnified.

(v) The number and date of issue of every certificate of insurance or cover note issued in connection with the policy.

(vi) The date, if any, on which any certificate of insurance or cover note issued in connection with the policy was surrendered or cancelled.

(vii) The date, if any, on which, and the reasons for which, the policy was terminated or suspended by any means before its expiry by efflux of time.

11. Exemption.—(1) In the case of a mechanically propelled vessel owned by any of the authorities specified in sub-section (2), or exempted under sub-section (3), of section 94 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), a certificate in Form C set out in the Schedule to these rules signed by a person authorised in that behalf by such authority may be produced in evidence that the mechanically propelled vessel is not being operated in contravention of section 94 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

(2) Any certificate issued in accordance with sub-rule (1) of this rule shall be destroyed by the person by whom it was issued before the mechanically propelled vessel to which it relates is sold or otherwise disposed off.

12. Records of exempted vessels.—Every authority referred to in sub-section (2) or sub-section (3), of section 94 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall keep a record of the mechanically propelled vessels owned by it in respect of which a policy has not been obtained, and of any certificates issued by it under these provisions in respect of such vessels and of the names and addresses of the person to whom such certificates have been issued by it, and of the withdrawal or destruction of any such certificates.

13. Supply of information.—Any person, authority or insurer required by these rules to keep records of documents shall furnish without charge to the Central Government or a State Government or to any police officer authorised in this behalf by the State Government on request any particular thereof.

14. Fee for production of information.—The fee to be paid in return for the production of information by a Registering Authority or the officer in-charge of a police station under section 109 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall be Re. 1.

PART II

Establishment of fund by authorities.

15. Establishment of the Fund.—The Authority may at any time establish a Fund for meeting any liability arising out of the use of any mechanically propelled vessel of that Authority which that Authority or any person in its employment may incur to third parties including liability arising under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).

16. Amount of the Fund.—(1) The Fund shall be established with an initial amount of not less than rupees five lakhs. The amount shall be kept in deposit with the bank.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (3), the Authority shall pay into the Fund at the beginning of each accounting year in respect of its mechanically propelled vessels in a running condition, a sum of Rs. 500 per vessel.

Explanation.—In this sub-rule "mechanically propelled vessel in a running condition" shall mean all the mechanically propelled vessels of the authority which are expected to be in operation at any time during the accounting year.

(3) When the Fund exceeds rupees sixty lakhs or Rs. 7500 per mechanically propelled vessel for the entire fleet of mechanically propelled vessels whichever is less, the annual payment referred to in sub-rule (2) shall cease provided that if thereafter the amount at the credit of the Fund falls below rupees sixty lakhs or Rs. 7500 per mechanically propelled vessel for the entire fleet of Inland Vessels whichever is less, such annual payment shall again be resumed.

17. Investment of the Fund.—From the amount at the credit of the Fund the Authority shall keep and maintain a cash deposit of not less than rupees two lakhs and fifty thousand in the Bank. The rest of the amount at the credit of the Fund shall be invested in Government securities.

18. Securities held as deposit in the Fund.—(1) All Government securities in which the Fund is invested shall be transferred to the Bank by the Authority.

(2) It shall be competent for the Authority at any time to exchange the Government securities for cash or for other Government securities of equal or greater market value, or both, and the bank shall carry out the instructions issued by the Authority for such exchange after charging the usual commission to the Authority. The securities so exchanged shall also be transferred to the Bank.

19. Deposits procedure.—(1) As soon as the Fund is established the Bank shall send to the Authority a statement specifying the assets held by it on behalf of the Authority and shall also send a copy thereof to the Central Government in the Ministry of Shipping and Transport (Inland Water Transport Directorate) or the State Government concerned, as the case may be.

(2) The statement referred to in sub-rule (1) shall be sent in the same manner and to the same authorities whenever there is a change in the assets of the Authority held by the Bank.

20. Interest on deposit in the Fund.—Interest realised on each deposits or the securities held in the Fund shall be paid by the Bank to the Authority.

21. Withdrawal from the Fund.—(1) No amount shall be withdrawn from the Fund except for the purpose of meeting any liability arising out of the use of any mechanically propelled vessels of the Authority which the Authority or any person in the employment of the Authority may incur to the third parties including liability arising under the Workmen's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).

(2) The Authority shall, subject to such conditions and restrictions as it may impose in this behalf, authorise one of its officers to draw monies from the Fund for the purpose mentioned in sub-rule (1).

(3) A copy of the authorisation referred to in sub-rule (2) duly authenticated by a competent officer of the Authority shall be sent to the Bank which shall permit withdrawals only by the officer named in such authorisation subject to the conditions and restrictions contained therein.

22. Settlement of claims procedure.—The Authority shall comply with such directions as the Central Government or the State Government concerned, as the case may be, may from time to time issue, with respect to the procedure to be followed for settlement of claims which are to be met out of the Fund.

PART II CO-OPERATIVES INSURANCE

23. Definitions.—In this Part of these rules,—

(i) "approved securities" means approved securities as defined in sub-section (3) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(ii) "Controller of Insurance" means the person for the time being performing the functions of the Controller of Insurance under the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) ;

(iii) "holding authority" means in relation to a society the authority in whose custody the fund established under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act. 1939 (4 of 1939) is to be lodged ;

(iv) "Society" means a society of mechanically propelled vessel owners which has been permitted under the provisions of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) to transact the business of an insurer for the purposes of the Act.

24. Co-operative Insurance Fund.—The fund required to be established in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) shall be held in the form of a deposit made either in cash or in approved securities or partly in cash and partly in approved securities and the amount of approved securities so held shall be estimated at the market value of the securities on the date of the deposit :

Provided that where a deposit held under the Insurance Act, 1938, is transferred to the holding authority in pursuance of rule 31 of the these rules, the date of the deposit shall, in the case of approved securities so transferred, be deemed to be the date of such transfer.

25. Deposits-Procedure.—(1) Deposits shall be sent by the society with a covering letter to the holding authority.

(2) Securities shall be duly transferred to the holding authority by the society.

(3) Upon receipt of a deposit under sub-rule (1) of this rule, the holding authority shall send—

(a) a certificate in Form D to the society ;

(b) a statement in Form E to such officer as may be specified by the State Government :

Provided that, if the holding authority is not satisfied as to the validity of the title of the society to the securities, he may return them to the society with the request that they shall first be renewed or that such other measures as may be necessary shall be taken to clear the title.

(4) The deposit made in cash shall be held by the holding authority to the credit of the society and shall except to the extent, if any, to which the cash has been invested in securities under sub-rule (6) of this rule be returnable to the society in cash in any case in which under the provision of the Act or of these rules the fund is to be returned.

(5) The society may at any time replace any securities deposited by it under these rules with the holding authority either by cash or by other approved securities, or partly by cash and partly by other approved securities.

Provided that such cash, or the value of such other approved securities estimated at the market rates prevailing at the time of replacement, or such cash together with such value as the case may be, is not less than the value of the securities replaced estimated at the market rates prevailing when they were deposited.

(6) The holding authority shall, if so requested by the society,—

(a) sell any securities deposited by it with the holding authority under these rules and hold the cash realised by such sale as deposit, or

(b) invest in approved securities specified by the society the whole or any part of a deposit held by the holding authority in cash or the whole or any part of the cash received by him on the sale of or on the maturing of the securities deposited by the society and hold the securities in which investment is so made as deposit and may charge the normal commission on such sale or on such investment.

(7) Where sub-rule (6) of this rule applies :—(a) if the cash realised by the sale of, or on the maturing of the securities (excluding in the former case the interest acquired) falls short of the market value of the securities at the date on which they were deposited with the holding authority, the society shall make good the deficiency by a further deposit either in cash or in approved securities estimated at the market value of the securities on the date on which they are deposited, or partly in cash and partly in approved securities so estimated within a period of two months from the date on which the securities matured or were sold, and unless it does so the society shall be deemed to have failed to comply with the condition imposed under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) ; and

(b) if the cash realised by the sale of or on the maturing of the securities (excluding in the former case the interest accrued) exceeds the market value of the securities at the date on which they were deposited with the holding authority, the State Government may, if satisfied that the full amount required to be deposited under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) is in deposit, direct the holding authority to return the excess.

26. Interest on securities held as deposit.—(1) No interest shall be paid on cash deposits.

(2) Any interest accruing due and collected on securities deposited under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and these rules shall be paid to the society subject only to deduction of the normal commission chargeable for the realization of interest.

(3) The holding authority shall remit interest or dividends on securities without delay to the society by a Government or bank draft after deduction of a commission of twenty five paise on every sum of Rs. 100 or part thereof.

27. Matured securities held as a deposit.—(1) When a security in deposit matures or when any yield on such a security ceases to accrue, the holding authority shall not be bound to inform the society but upon receipt of a requisition from the society made in writing the holding authority shall, within six weeks of such a receipt, collect the discharge value and hold the amount in cash to the credit of the society or invest it in securities specified by the society.

(2) When the form or amount of a deposit is changed by reason of a subsequent deposit or a substitution or a payment under sub-rule (5) of rule 18, or a sale or investment under sub-rule (6) of rule 18 of these rules, the holding authority shall, within two weeks from the entry of such change in the books of the holding authority, send a fresh certificate and a fresh statement of the nature and in the manner described in sub-rule (3) of rule 25 of these rules.

28. Payments from deposits.—(1) Withdrawals and payments from deposits and purchases of securities shall not be made save on the order of the State Government made in writing, and save on the receipt by the holding authority of a requisition in writing and in accordance with the provisions of the Act and of these rules from the society, a liquidator acting in accordance with law, or a court of competent jurisdiction, as the case may be.

(2) The holding authority shall not be bound in pursuance of sub-rule (1) to return securities actually deposited, but may substitute therefor new script of securities of the same description and amount.

(3) The holding authority shall be entitled to charge, for the purchase or sale of securities, any brokerage payable by the holding authority in respect of such purchase or sale.

29. Inspection of deposits.—Any officer authorised in this behalf by the State Government shall be entitled, free of any fee, to inspect or to require from the holding authority any information relating to any security deposited with the holding authority in terms of clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and of these rules ; and the holding authority shall if so required, furnish such officer with a copy of any entry in any register or book maintained by the holding authority relating to any deposit made with him in pursuance of the Act and of these rules.

30. Information to the Reserve Bank.—Where a society, to which permission is granted under sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) to transact the business of an insurer for the purposes of the Act as if it were an authorised insurer, is registered under the Insurance Act, 1938 at the time of the grant of such permission, the State Government shall intimate the grant of such permission, to the Reserve Bank of India and shall also

intimate to that Bank all the conditions imposed by the State Government relating to the establishment of the fund referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) in relation to such society.

31. Transfer of deposit from Reserve Bank.—(1) A society as aforesaid shall apply in writing to the Reserve Bank of India for the transfer of the deposit made under section 7 or section 98 of the Insurance Act, 1938, held by the Reserve Bank to the holding authority and such application shall be duly authenticated and accompanied by the order in original of the State Government granting the society permission under sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and containing the conditions, if any imposed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and an attested copy of such application and its enclosures shall also be sent to the Controller of Insurance.

(2) If from the application so made the Reserve Bank is satisfied that the society has been granted permission by the State Government under sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) the Reserve Bank shall transfer the deposit held by it under section 7 or section 98 of the Insurance Act, 1938 on behalf of the society to the holding authority subject to such conditions, if any, as may have beeen imposed by the State Government.

32. Information to the Controller of Insurance.—A State Government shall intimate to the Controller of Insurance every case of permission granted by it to a society to transact the business of an insurer for the purposes of the Act, and every case where such permission has been withdrawn or cancelled, and in every case where such permission has been granted, the State Government shall also furnish to the Controller of Insurance a copy of the documents referred to in clauses (a), (b) and (f) of sub-section (2) of section 3 and the particulars referred to in section 26 of the Insurance Act, 1938, in relation to such society so far as is applicable to such society :

Provided that in the case of societies which, at the time of grant of the permission by the State Government, have been registered under the Insurance Act, 1938 it shall be sufficient compliance with the requirements of this rule if the State Government furnishes to the Controller of Insurance the particulars referred to in section 26 of the Insurance Act, 1938, in respect of every alteration taking place after the date on which permission is granted to the society by the State Government.

33. Failure of a Society to comply with the provisions of the Act.—The Controller of Insurance shall intimate to the State Government concerned every case in which, from a perusal of the returns furnished to him by a society, he is of the opinion that the society has failed to comply with the requirements of either sub-clause (i) or sub-clause (ii) of clause (f) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) or both.

PART-IV FOREIGN INSURANCE

34. Definitions.—In this Part of these rules—

(i) "approved list" means the list of foreign insurers and their guarantors maintained by the Central Government under these rules ;

(ii) "certificate of foreign insurance" means a certificate issued by a foreign insurer in Form 'G' in compliance with these rules ;

(iii) "foreign insurer" means a person or firm carrying on business of insurance incorporated or domiciled outside India, and not registered under the Insurance Act, 1938 ;

(iv) "guarantor" means an insurer who has guaranteed a foreign insurer in pursuance of these rules, and "guarantee", "guaranteed" and "guaranteeing" shall be construed accordingly ;

(v) "visitor" means a person bringing a mechanically propelled vessel into India and making only a temporary stay therein not extending to a continuous period of more than one year.

35. List of foreign insurers.—(1) The Central Government shall publish in the Official Gazette an approved list of foreign insurers who have been guaranteed in accordance with these rules, together with the name of the guarantor or guarantors in each case and shall also publish any addition to or removal from the approved list.

(2) No foreign insurer's name shall be added to the approved list until such foreign insurer has been guaranteed by at least one insurer and the name of the foreign insurer who ceases to have at least one guarantor shall be removed from the list.

36. Guarantor or foreign insurer.—(1) An insurer who desires to guarantee a foreign insurer shall make application therefor to the Central Government in Form F set out in the Schedule to these rules.

(2) The Central Government may, if it is satisfied that the application referred to in sub-rule (1) is in order and that it is expedient that the foreign insurer be placed in the approved list, or where the name of the foreign insurer is already included in the approved list, that the insurer should be added to the approved list as a guarantor of the foreign insurer, the name of the foreign insurer shall be added to the approved list if it is not already included, and the insurer be included as a guarantor of such foreign insurer.

(3) A guarantor desiring to cease guaranteeing a foreign insurer shall give notice of not less than two months to the Central Government in Form I set out in the Schedule to these rules, and where such notice has been given the guarantor shall be deemed to have ceased to guarantee the foreign insurer from the date specified in the notice :

Provided that the insurer shall be deemed, in respect of all certificates of foreign insurance endorsed or renewed in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 37 of these rules before the date of such cessation, to continue as the guarantor of the foreign insurer who has issued the certificate as if the guarantor had not ceased to be his guarantor.

(4) If at any time a guarantor ceases to be an insurer, the Central Government may, after giving such notice as may appear to it to be necessary, remove from the approved list the name of such guarantor wherever it appears :

Provided that the guarantor who ceases to be an insurer shall be deemed ; in respect of all certificates of foreign insurance endorsed in pursuance of the provisions of sub-rule (2) of rule 37 of these rules before the date of removal of the name of the guarantor from the approved list, to continue as the guarantor of the foreign insurer as if the guarantor had not ceased to be an insurer and as if his name had not been removed from the list.

37. Endorsement of certificate of foreign insurance.—(1) A visitor wishing to have a certificate of foreign insurance endorsed or re-endorsed shall produce such certificate in Form G set out in the Schedule to these rules before the Customs Controller at a post of entry of customs post or to such other officers as the Central Government may by notification in the Official Gazette appoint, for the purpose of endorsement in accordance with the provisions of these rules or for the purpose of the renewal of any endorsement already made on the certificate in accordance with these rules.

(2) Such officer shall, if satisfied that the certificate of foreign insurance complies with the requirements of these rules that the period of validity of such certificate in India had not expired, that the certificate has been issued by a foreign insurer in the approved list and that the guarantor specified in the certificate is shown in the approved list as a guarantor of the foreign insurer, make an endorsement thereon in form H set out in the schedule to these rules.

(3) The period of validity of an endorsement or of the renewal of an endorsement made as aforesaid shall not in any case be extended beyond the date on which the certificate of foreign insurance ceases to be effective in India ; provided that when a visitor obtains a fresh certificate of foreign insurance during the period of his stay in India, the period of validity of an endorsement made upon it added to the period of validity of an endorsement or endorsements that may have been made upon the original certificate, shall not exceed one year in all.

38. Validity of certificate of foreign insurance.—A certificate of foreign insurance carrying an endorsement in accordance with the provisions of rule 37 shall have effect as if it were a certificate of insurance issued by the guarantor specified in it and shall be deemed to comply with the requirements of Chapter VIA of the Act ; and the policy to which it relates shall also be deemed to have been issued by such guarantor

and to comply with the requirements of Chapter VIA of the Act.

39. Maintenance of records by the guarantor.—Every guarantor shall, in respect of certificates of foreign insurance issued under his guarantee by the foreign insurer whom he has guaranteed, and every person who has ceased to be a guarantor shall, in respect of the certificates of foreign insurance issued under his guarantee by the foreign insurers whom he had guaranteed at any time in the preceding five years, keep a record of such particulars relating to the policies in connection with which the certificates of foreign insurance were issued as are required to be kept by insurers under the provisions of rule 11 of these rules in respect of policies, and the necessary additions to these records required to make them up-to-date shall be made as soon as is reasonably possible in the circumstances.

THE SCHEDULE

FORM A (INDIA)

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

Certificate of Insurance

(See rule 3)

Certificate No. .....Policy No. .....(Optional)

1. Registration mark and number, or description, of the mechanically propelled vessels insured.
2. Name and address of insured.
3. Effective date of commencement of insurance for the purpose of the Act.
4. Date of expiry of insurance.
5. Persons or classes of persons entitled to navigate.
6. Limitations as to use.

I/We hereby certify that the policy to which this certificate relates as well as this certificate of Insurance are issued in accordance with the provisions of Chapter VIII of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

(Authorised Insurer)
(India)

FORM B

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) (INDIA)

Cover Note

(See rule 4)

1. Registration mark and number, or description, of the vessels insured . . . . .
2. Name and address of insured . .
3. Effective date of commencement of insurance for the purpose of the Act . . . .
4. Date of expiry of insurance . .
5. Persons or classes of persons entitled to navigate . . . .
6. Limitation as to use . . .

The period of validity of this cover note will expire on . .

(Authorised Insurer)

The period of validity of this cover note which expired on is further extended upto .....

(Authorised Insurer)

The period of validity of this cover note which expired on.... .....is further extended upto .....

(Authorised Insurer)

The period of validity of this cover note which expired on ..... is further extended upto .....

(Authorised Insurer)

The period of validity of this cover note which expired on..... .....is extended upto .....

(Authorised insurer)

FORM C

(INDIA)

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

(See rule 11)

Certified that the mechanically propelled vessels of the following description—

(a) Registration number

(b) Manufactured by

(c) Class, i.e., Tug, Steamer, launch, self propelled barge Dredger Ferry Vessel or cargo vessels or other class (to be described)

(d) Specification.

Marine power-LOA,BOA-Draft

Carrying capacity—

(e) Colour of body is the property of—

(i) the Government .....

(ii) the local authority/State Inland Water Transport Undertaking, namely .....the mechanically propelled vessels of which have been exempted under section 94(3) of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) by the Government of ....by their Order No. ..... dated .....

This certificate is valid upto ..... unless cancelled in the meantime.

Dated ..... Signed on behalf of Designation:

FORM D

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

(See rule 25)

No.

Certified that ..... has made the undermoted deposits under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939) and the Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978.

(Holding Authority)

	Cash	Approved Securities			Remarks
		Loan	Face Volue	Market Value	
1	2	3	4	5	6
Total					

Grand total of Columns 2 and 5 Rs.....

FORM E

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

(See rule 25)

No. 19

Statement showing the particulars of deposits held on behalf of the .....under clause (a) of sub-section (1) of section 108 of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939).

Loan	Existing deposits (excluding deposits withdrawn)		New deposit Received on		Total	
	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value	Face Value	Book Value
Total Cash						
Grand Total						

Certified that the above agrees with the entries in the books maintained by

(the Holding Authority)

(Holding Authority)

FORM F

[See rule 36(1)]

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

Application for the approval of a foreign insurer

I/We hereby apply for the inclusion of ..... (name of foreign insurer) of .....constituted/ Incorporated/Domiciled at .....in the approved list maintained by the Central Government in pursuance of the Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978, and for the inclusion of my/our name as the guarantor of the said .....(name of foreign insurer) for the purposes of Chapter VIA of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) and the said Rules. I/We hereby certify that I/We have entered into an agreement for the purposes of the said Act and the said rules with the said foreign insurer and I/We hereby agree to act as guarantor in India in respect of the said foreign insurer for the purposes of the said Act and the said rules.

(Signature of Authorised Insurer)

Address

Dated, the 19

FORM G

(See rule 37)

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

Certificate of Foreign Insurance

Certificate No. .....Policy No. .....(Optional)

1. Name and address of approved foreign insurer.
2. Name and address of guarantor.
3. Registration mark and number of the mechanically propelled vessel.
4. Name and address of visitor.
5. Date of commencement of the policy.
6. Date of expiry of the policy.
7. Persons or classes of persons entitled to navigate in India.
8. Any limitations as to use in India.
9. Particulars of any other vessel(s) which the foreign visitor is entitled to operate in India and of any limitations in this connection.

I/We hereby certify that this certificate of foreign insurance has been issued in accordance with the provisions of Chapter VIA of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) and the Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978.

(Approved Foreign Insurer)
(India)

FORM H

(See rule 37)

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

Endorsement on certificate of foreign insurance

Certified that I have today examined this certificate of foreign insurance and that I am satisfied that this certificate complies with the requirements of Chapter VIA of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) and the Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978.

The period of validity of this endorsement will expire on unless cancelled in the meanwhile.

Date

(Signature and Designation of Competent Authority)

The period of validity of this endorsement is hereby renewed.

Upto

Upto

Upto

unless cancelled in the meanwhile.

(Signature and Designation of Competent Authority)

FORM I

(See rule 36(3)]

Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917)

This is to given notice that I/we desire to cease acting as guarantors in India of .....of ....(name of foreign insurer)..... ..... (Address of foreign insurer) after..... .....or from the expiry of two months from the date on which this notice is delivered to the Central Government, whichever is later, for the purposes of Chapter VIA of the Inland Vessels Act, 1917 (1 of 1917) and the Inland Vessels (Third Party Insurance) Rules, 1978.

Dated the 29th day of December, 1978.

(Authorised Insurer)

[File No. 27-IWT(1)/78-P&W (ii)]

B.B. MAHAJAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979